सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 70 / 2006 दर्ज दिनांकः—06.06.2006

1. चरनसिंह पता— ....प्रार्थी

बनाम

2. गंगाधर

पता— ....अप्रार्थीगण

उपस्थितः

राजेन्द्रसिंह प्राथी अभिभाषक

प्रतापसिंह अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। वादी द्वारा यह दावा दिनांक 01.06.2006 को इस न्यायालय में पेश किया। जबकि इन्ही पक्षकारों के मध्य इसी आराजी का विभाजन आपसी सहमति से तहसीलदार भरतपुर द्वारा वर्ष 2004 में कर दिया गया था जिसका दा.ख. संख्या 882 दिनांक 07.06.2004 स्वीकृत निर्णय होकर जमाबंदी में अमल आ गया। इस दा.ख. की प्रथम अपील ए.डी.एम. सहाब भरतपुर यहां से दिनांक 30.06.2006 को खारिज निर्णय हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 8 लगायत 13 के पूर्वज झनकसिंह ने आ.ख.नं. 926,927,930 किता 3 कुल रकवा 52 है. का वयनामा वादी को करा दिया है। फिर वादी का कौनसा 0.46 है0 रकवा कम आया है, स्पष्ट नही है। दावा वादी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित न होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है किः—

दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official